मां सरस्वती मंदिर में मनाई जाएगी बसंत पंचमी

तैयारियां पूरी, अजयगढ़ के सिवा कही भी मां सरस्वती का मंदिर नहीं है और अष्टधातु की भव्य मूर्ति लोगों के दर्शन, आकर्षण का मुख्य कारण होती है

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 22 जनवरी। माँ सरस्वती के मंदिर में बसंत पंचमी का पर्व परंपरागत तरीके से व उत्साहपूर्वक 23 जनवरी को मनाया जाएगा। आसपास के क्षेत्र में अजयगढ़ के सिवा कही भी माँ सरस्वती का मंदिर नही है। और यहां की आदम अकार की अष्ट्धातु की भव्य मूर्ति लोगो के दर्शन आकर्षण का मुख्य कारण होती है।

नगर के सरस्वती मन्दिर में बसंत पंचमी के दिन मध्यप्रदेश एवं पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के लोग भारी संख्या में दर्शनों के लिए जन समुदाय पहुंचता है। यह मन्दिर अजयगढ रियासत के महाराज भोपाल सिंह द्वारा वनवाया गया था माता की मूर्ति जर्मनी से पानी के जहाज से कलकत्ता आई फिर ट्रेन से अतर्रा से महाराज की गाड़ी से अजयगढ पहुची मन्दिर का निर्माण संवत 1995 में काशी से आए 108 विद्वान पंडितों ने लगभग 86 वर्ष पूर्व इसकी विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार से मूर्ति स्थापित की थी इस अद्वितीय मूर्ति का वजन लगभग 150 किलोग्राम है।

मां सरस्वती मंदिर में आदम आकार की मूर्ति के स्थापित होते समय तत्कालीन महाराज भोपाल सिंह उनके पुत्र तत्कालीन युवराज पुण्य प्रताप सिंह व उनके नाती देवेंद्र विजय सिंह की उपस्थिति में काशी से आए विद्वान पंडितो ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी ऐसा मंदिर के सामने लगे शिलालेख में लेख है।

मंदिर समिति की बैठक तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व परंपरा एवं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और भव्य तरीके से मनाया जाए।

मंदिर की साफ सफाई व पुताई, साज सज्जा, आकर्षक लाइटो से सजाकर मंदिर तैयार है। लगभग 40 किलोग्राम सामग्री का हवन किया जाएगा। एवं परंपरा के मुताबिक माता के वस्त्र, झंडा भी बदले जायेगे। मन्दिर समिति के अध्यक्ष तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि माता सरस्वती की विधि विधान से वसन्त पंचमी पर्व पर विशेष पूजा अर्चना हवन पूजन के बाद कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दर्शनार्थियों को पूरे दिन देशी घी की पूड़ी व खीर बैठकर खिलाई जाएगी और सारे दिन प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा सुरेंद्र कुमार के द्वारा मां सरस्वती माता मंदिर में वसन्त पंचमी की तैयारियो का वरिष्ठ अधिकारी के साथ पहुंच कर जायज़ा लिया मुसद्दी छेदीलाल ने सभी से अपील करी कि अधिक से अधिक लोग सरस्वती मंदिर मे वसन्त पंचमी पर पहुँचकर दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करें।

जीवन की हर शुरूआत के लिए बसंत पंचमी श्रेष्ठ मुहूर्त

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। जीवन में हर तरह की नई शुरूआत के लिए बसंत पंचमी श्रेष्ठ मुहूर्त है। यह माँ सरस्वती का उत्पत्ति दिवस माना जाता है और इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए उनकी आराधना का नाम है और इसी दिन से प्रकृति एक नई करवट लेती है और जीवन सुखदायी हो जाता है।

भारत में ऋतुओं को छह भागों में बांटा गया है और उनमें बसंत का सर्वाधिक महत्व है। इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है इस ऋतु के आते ही प्रकृति में चारों ओर रंग ही रंग नजर आते है। इस समय प्रकृति के इस स्वरूप को देखकर समस्त जीव उल्लास से भर जाते है। वैसे तो माघ मास का पूरा ही महीना ही उत्साह का संचार करने वाला है, लेकिन फिर भी माघ शुक्ल की पंचमी यानी बसंत पंचमी विशेष महत्व रखती है। बसंत पंचमी पर्व का कई तरह से महत्व है। इस दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी और इसलिए यह प्रकृति में जीवन रस और ज्ञान के प्रसार का उत्सव भी है। बसंत पंचमी को ही मां सरस्वती की हुई थी उत्पत्ति- ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरम्भ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रम्हा ने मनुष्य की रचना की, लेकिन मनुष्य की रचना के बावजूद भी सभी तरह मौन छाया रहता था। तब भगवान विष्णु की अनुमति से उन्होने अपने कमंडल के जल से माँ सरस्वती की उत्पत्ति की। ब्रम्हा जी ने सरस्वती से वीणा बजाने को कहां और उनकी वीणा के नाद से समस्त संसार में चेतना आई। तभी से बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के पूजन की परम्परा है। उन्हें वीणा की देवी ज्ञात की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे इस समस्त संसार की परम चेतना है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने मां सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। ज्ञात का वरदान पाने के लिए तभी से बसंत पंचमी को शुभ दिन माना जाने लगा। अक्सर इसी दिन विद्यारंभ संस्कार प्रारम्भ किया जाता है। बसंत पंचमी पर भगवान विष्णु और कामदेव का पूजन भी किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्रों का विशेष महत्व है। इस दिन को सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। विधारम्भ नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त है। इस दिन को शुभ मानने के पीछे कारण यही है कि सामान्यत: यह पर्व माघ मास में आता है। माघ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पुण्यदायी महीना है। इसी माह में सरिता के जल में स्नान श्रेयस्कर है तो इसी माह में सूर्यदेव उत्तरायण होते है।

निरोग के लिए सरस्वती पूजन

बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन और व्रत करने से वाणी का संयम प्राप्त होता है स्मरण शक्ति तेज होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति-पत्नी और बंधु-बांधवों में कभी वियोग नहीं होता और वे सभी दीर्घायु और निरोगी रहते हैं। इस दिन शक्ति भावना से पूर्ण होकर श्रेत पुष्प माला धारण की हुई मां सरस्वती का पूजन करना चाहिए।

गरिमामय मनाया जाएगा 77वां गणतंत्र दिवस

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। पन्ना जिला मुख्यालय में 26 जनवरी कर्ा 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारहिं पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे आर्याजित किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ऊषा परमार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी तथा मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी लेने के उपरांत मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा।

जनपद पंचायत मुख्यालय में अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा अउपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में

राष्ट्रगान गाया जाएगा। ऐसे नगरीय निकाय जिनका मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं है, उनमें नगरीय निकाय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय में सरपंच द्वारा अउपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान का गायन होगा। ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियाँ की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

चैमुखनाथ में तीन दिवसीय बसंतोत्सव मेले की तैयारियां जोरों पर

नवभारत न्यूज

सलेहा/पन्ना 22 जनवरी। बसंत पंचमी के अवसर पर पन्ना जिले के सलेहा समीपस्थ ग्राम नचने में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले तीन दिवसीय बसंतोत्सव मेले की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है।

ग्राम पंचायत नचने अंतर्गत आयोजित होने वाले मेले में आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए पंचायत प्रबंधन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुनौर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद गुनौर तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस थाना सलेहा सहित विधुत विभाग को सूचना दी गई है। जिले के प्रसिद्ध स्थल चैमुख नाथ में बसंत पंचमी पर तीन दिवसीय मेले का आयोजन 23 जनवरी से प्रारंभ होगा जो 25 जनवरी तक अनवरत चलेगा, तीन दिवसीय मेले में ग्रामीण क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित मेले में दूर - दराज के व्यापारी गण चैमुख नाथ आकर अपनी दुकानों और स्टाल लगते हैं। जहां पर सतना पन्ना,

मैहर ,कटनी ,सलेहा क्षेत्र के बड़े-बड़े व्यापारी आकर अपनी प्रतिष्ठानों को सजाते हैं और मेले की रौनक बढ़ाते हैं। मेले में मनोरंजन आकर्षक सर्कस,खेल, झूला तमाशा एव तंबू लगना प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान तीन दिवसीय मेले में पंचायत प्रबंधन द्वारा व्यवस्था की जा रही हैं। जिससे दूर दराज से आने वाले व्यापारियों तथा मेला घूमने वाले व्यक्तियों को किसी तरह की असुविधा ना हो सके। साथ जनपद पंचायत द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

पंचायत द्वारा वाहनों की पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है।मेले में आने वाले दुकानदारों को निर्देशित किया है की मेला परिसर में दुकानें सुचारू रूप से व्यवस्थित लगायें साथ मेरा परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिससे परिसर साफ स्वच्छ बना रहे। साथ ही शासन की गाइड लाइन के अनुसार अपने प्रतिष्ठान सुसज्जित करें।

तीन वर्षों से फरार वारंटी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। उच्च न्यायालय जबलपुर एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार तथा एसपी पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के दिशा निर्देशन मे स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में थाना अमानगंज पुलिस द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायधीश पन्ना के प्रकरण एस.टी. क्रमांक 44/2020, थाना अमानगंज अपराध क्रमांक 64/2019 में फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी शिवविजय बागरी पिता अमान सिंह, उम्र लगभग 35

वर्ष, निवासी ग्राम मोहनपुरवा, थाना अमानगंज, जिला पन्ना को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

आरोपी लंबे समय से फरार होकर न्यायालयीन कार्यवाही से बच रहा था। आरोपी को टिकुरिया मोहल्ला पन्ना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमानगंज उनि. रवि सिंह जादौन, प्र.आर. शिवम शर्मा, राजीव मिश्रा आर. तुलसी एवं मुनेन्द्र का सराहनीय योगदान रहा।

अधिकारियों एवं नेताओं की कमाई का जरिया बनीं भ्रष्टाचार की खबरें

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। कुछ समय पहले तक यदि समाचार पत्रों में यदि सिंगल कॉलम खबर भी छपती थी तो उसका व्यापक असर होता था। जिला प्रशासन अथवा शासन खबर को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए उस पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करता था।

जिस विभाग अथवा अधिकारी से संबंधित खबर रहती थी वरिष्ठ अधिकारी उसकी तबियत से खबर लेते हुए मामले की जांच तथा कार्यवाही में किसी प्रकार कोताही नहीं बरतते थे। पर अब काफी कुछ बदल चुका है। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली विभिन्न विषयों पर आधारित खबरों में से अधिकारी अपने मतलब की खबर छांटकर उस पर कार्यवाही नहीं अपितु वसूली करते है। अब समाचार पत्रों की कतरनों की जांच जिले में कुछ चर्चित अधिकारियों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बन चुकी है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों की पीड़ा है। जिसे वे न तो ठीक ढंग से छिपा पा रहे है और न ही खुलकर बता पा रहे है। पर सच्चाई तो सच्चाई है जो लाख छुपाने पर भी जुबां पर आ ही जाती है। विगत दिनों जिला मुख्यालय पन्ना में स्थित एक कार्यालय में विभागीय निर्माण कार्यों की जानकारी लेने गये कुछ पत्रकारों से वहां मौजूद एक उपयंत्री ने अपना दर्द सुनाते हुए जो कुछ बताया वह अत्यंत ही हैरानी वाला है। उपयंत्री का कहना था कि समाचार पत्रों में यदि गुणत्ताहीन निर्माण कार्य होने तथा उसमें अवैध उत्खनन की निर्माण सामग्री आदि के उपयोग की खबरें छपती है तो उससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार तो होने से रहा। उक्त खबर की कतरन की जांच के नाम पर उनसे वसूली होती है।

नेताओं का भी यही धंधा

समाचारों पत्रों की खबरों से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ प्रमुख दलों के कुछ दलाल किस्म के नेताओं की भी दुकानदारी आबाद हो जाती है। ऐसे नेताओं को हर रोज सुबह उन खबरों तथा सूचनाओं की तलाश रहती है जो कि उनकी जेब गर्म कर सकें। समाचार पत्रों की खबरे पढ़कर संबंधित विषय पर सूचना के अधिकार का आवेदन लगाना अथवा न्यूज पेपर की कटिंग संलग्न करते हुए अपने लेटर पैड पर शिकायत करना नेताओं की आदत में शुमार है। नेताओं की ऐसी शिकायत सुधार के लिए नहीं होतीं बल्कि स्वार्थ पूर्ति के लिए की जाती है। ऐसा करने वाले अधिकांश नेतागण तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महानुभावों के कारनामों अब ज्यादातर लोग जानने लगे है।

जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 27 को

पन्ना 22 जनवरी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा पर गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, 27 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण, निगरानी व मूल्यांकन सहित नियामक प्रावधानों के परिपालन और आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर विभागीय लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है।

सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के आयोजन के लिए कार्यशाला आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। पन्ना जिले में आगामी 10 से 25 फरवरी तक फायलेरिया उन्मूलन के लिए 2 वर्ष से अधिक आयु के समस्त लक्षित आबादी को फायलेरिया रोधी दवा का सेवन करवाया जाना है।

सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए गुरूवार को रैपिड रिस्पांस टीम के प्रषिक्षण सह कार्यषाला का आयोजन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.के. गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों एवं

स्वास्थ्य कार्यकताओं को निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना अनुसार सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। किसी व्यक्ति को फायलेरिया दवा के सेवन उपरांत यदि कोई समस्या होती है, तो टीम द्वारा तुरंत संबंधित व्यक्ति को उपचार प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में एमडीए का प्रचार-प्रसार करें एवं अभियान के दौरान समस्त लक्षित जनसमुदाय को फायलेरिया रोधी दवा का सेवन करवाया जाना सुनिष्चित करें। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम अंतर्गत डीईसी एवं एल्बेन्डाजोल दवाईयों का सेवन उम्र के अनुसार एवं आइवरमेक्टिन दवा का सेवन व्यक्ति की लंबाई के अनुसार करवाया जाएगा। उक्त दवाईयों का किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। समस्त आमजनों से अपील की गई है कि फायलेरिया रोधी दवा का सेवन अवष्य करें।

कट्टा-कारतूस रखने वाले को 2 वर्ष का कारावास व जुर्माना

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि, दिनांक 25 अगस्त 2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि थाना सलेहा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ उपनिरीक्षक सुयश पाण्डेय को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि हृदेश लखेरा पथरहा तालाब की मेढ़ में बैठा है, कमर में देशी कट्टा खौसे है।

आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हृदेश लखेरा पिता रामलाल लखेरा, उम्र 24 वर्ष, निवासी बंधूर, थाना सलेहा, जिला पन्ना का होना बताया, जिसकी तलाशी लिये जाने पर कमर में बांये तरफ एक लोहे का 315 बोर का देशी कट्टा पेंट के बेल्ट में खुसा मिला तथा पेंट के दांहिनी जेब में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला था अभियुक्त हृदेश लखेरा का कृत्य धारा-25/27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफतार किया जाकर, अभियुक्त हृदेश लखेरा के विरूद्ध थाना सलेहा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमती बिन्दु पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ।

शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री दीपका पटेल द्वारा की गयी। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी- हृदेश लखेरा को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कलेक्टर प्रतिनिधियों का हुआ प्रशिक्षण

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाएं क्रमशः 10 एवं 13 फरवरी से सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

सत्र 2025-26 की परीक्षाओं के लिए जिले में 48 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा केन्द्रवार कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी की गई है। प्रत्येक परीक्षा दिवस पर पुलिस थाना एवं चैकी से प्रश्न पत्र निकालने तथा संबंधित परीक्षा केन्द्रों तक केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ सुरक्षित पहुंचाने के लिए गुरूवार को डाईट में कलेक्टर प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक तरूण चैरसिया एवं धीरज पाण्डेय द्वारा प्रशिक्षण के दौरान दायित्वों तथा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान कलेक्टर प्रतिनिधियों की समस्याओं व प्रश्नों का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रविप्रकाश खरे भी उपस्थित रहे।

पुलिस ने 7 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना निरीक्षक रोहित मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा न्यायालय पन्ना के प्रकरण क्रमांक 57/18, धारा 138 एन.आई. एक्ट में वर्ष 2018 से फरार चल रहे आरोपी विवेक सेन पिता आशाराम सेन, निवासी वार्ड क्रमांक 21, नगरपालिका के पीछे, पन्ना को गिरफ्तार किया गया।

उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 में आरोपी के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था। आरोपी लंबे समय से फरार होकर न्यायालयीन कार्यवाही से बच रहा था। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान विश्वसनीय मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20 जनवरी को पन्ना शहर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को विधिवत अभिरक्षा में लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने के आदेश पारित किए गए।

अधिवक्ता संघ गुनौर का निर्वाचन हुआ, शिवकुमार बने अध्यक्ष

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 22 जनवरी। तहसील गुनौर अंतर्गत अधिवक्ता संघ का निर्वाचन आज 22 जनवरी को संपन्न हुआ जिसमें 6 पदों के लिए 11 अभ्यर्थियों ने भाग लिया 43 सदस्य मतदाता रहे।

जिसमें अध्यक्ष पद के लिए शिवकुमार मिश्रा निर्वाचित हुए उपाध्यक्ष श्रीकांत तिवारी बनें, सचिव विपिन कुमार पाठक, सह सचिव अविनेश्वर गर्ग निर्विरोध निर्वाचित हुए, कोषाध्यक्ष नीतेश खरे, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए संदीप द्विवेदी निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र जैन एवं सह निर्वाचन अधिकारी सौरभ चतुर्वेदी रहे। निर्वाचन के उपरांत विजयी प्रत्याशियों को उनके चाहने वालों एवं शुभचिंतकों ने बधाइयां प्रेषित की है।

आदिवासी महिला की जमीन हड़पने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

कांग्रेस नेता व उनके सहयोगी हैं आरोपी

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 जनवरी। जिले के बहुचर्चित आदिवासी महिलाओं की जमीन धोखाधड़ी कर हड़पने वाले कांग्रेस नेता श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दी गई है। साथ ही अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी के पुत्र अनुपम त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका भी निरस्त हो गई है। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

अधिवक्ताओं ने भी जिला प्रशासन एवं जिला न्यायालय को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी को जमानत देने का अनुरोध किया गया था लेकिन अपराध गम्भीर होने के कारण उसे भी अमान्य कर दिया गया था। श्रीकांत दीक्षित की जमानत याचिका में अनुरोध किया गया, उसकी हार्ट की सर्जरी हुई है। चिकित्सकों ने किसी भी प्रकार का तनाव न देने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार रामलखन त्रिपाठी की ओर से जमानत याचिका मे अनुरोध किया गया एक किडनी खराब है, दूसरी केवल 80 फीसदी काम कर रही है। 14 जनवरी से सर्दी बुखार से पीडित है। जेल में संक्रमण बढ़ने और बीमार होने की आशंका है। उपरोक्त सभी दलीलें काम नहीं आई और जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। वहीं मामले में फरार चल रहे अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी के बेटे अनुपम त्रिपाठी के अग्रिम जमानत आवेदन को भी विशेष न्यायाधीश निवारण अधिनियम की अदालत ने खारिज कर दिया। अग्रिम जमानत आवेदन में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी और परिवार की प्रतिष्ठा आहत हो जाएगी। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।

साक्ष्य एवं अभियोजन प्रभावित होने की आशंका

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने कहा, आरोपी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में कार्यालय जिला अभिभाषक संघ का पत्र संलग्न हैं। जिसमें लेख किया गया है कि अधिवक्ता को स्वतंत्र नहीं किया गया तो अग्रिम कार्रवाई के लिए अधवक्ता विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इससे ऐसी प्रतीत होता है कि आरोपी विधि का जानकार है और एसपी एसडीओपी को पत्र जारी करवा भय दिखा रहा है तो फरियादी और अन्य अभियोजन साक्षियों को भी प्रभावित कर सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का लाभ देना उचित नहीं होगा इसलिए आवेदन निरस्त कर दिया गया।